न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : जयवीर सिंह R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– **11/2018** दायर तारीख : **16.03.2018**

सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र हनुमानदास जाति ब्राहम्ण निवासी गांव टटेरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर हाल निवासी D58B, गली नम्बर 3 लक्ष्मीनगर दिल्ली। —— वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. [illegible] पत्नी नरपत सिंह
2. न[illegible] पुत्र नरपत सिंह
3. महेन्द्र [illegible]
4. राजू कंव[illegible] नरपत सिंह

(1–4) जाति राजपूत निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर

5. तहसीलदार [illegible]अभिलेख तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
7. तहसीलदार भू–अभिलेख तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
9. अतिरिक्त कलक्टर पंजीयक एवं मुद्रांक कलक्ट्रेट परिसर बनीपार्क, जयपुर।

—— प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

निर्णय दिनांक 17.01.2019

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि वादी ने प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम [illegible] के साबिक खसरा नम्बर 211, 212, 213 जिसके नया नम्बर 38, 354 [illegible] खिलाफ पूर्व खातेदार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वसीयत वारिस होने के आधार पर पेश किया है। वादी ने पूर्व खातेदार को सन् 1963 में फौत होना बताया है तथा सन् 1963 के बाद वर्ष 2018 में यानी 55 वर्ष पश्चात वाद पेश किया है। पूर्व खातेदार का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत पति व पिता नरपत सिंह ने उक्त भूमि की खातेदारी का दावा न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा के यहाँ उनवानी नरपत सिंह बनाम राजस्थान सरकार के नाम से वर्ष 1975 में पेश किया जो बाद सुनवाई वादी नरपत सिंह के हक में दिनांक 04.05.1976 को डिक्री हुआ है। पूर्व खातेदार भगवान सहाय के कोई जायन्दा सन्तान नहीं थी, जिससे पूर्व खातेदार भगवान सहाय के गोद पुत्र जमनादास ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पति व पिता के हक में एकपक्षीय डिक्री को अपास्थ करने के लिए अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.1976 को पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.1982 को खारिज किया गया, जिसे आगे चलकर फिर कोई चुनौती नही दी गयी यानी उसकी अपील नहीं की जाने से निर्णय दिनांक 04.05.1976 अंतिम हो चुका है। वादी को उक्त निर्णय की शुरू से जानकारी रही है, उसके बावजूद गलत तरीके से झूंठी वसीयत के आधार पर प्रोबेट बनाकर उक्त वाद पेश किया है, जिसके खिलाफ प्रतिवादीगण ने मान्य उच्च न्यायालय से स्टे ले रखा है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में भूमि से संबंध रखने वाले पक्षकारों के मध्य वाद पहले ही निर्णय हो चुका है, जिससे पुनः उसी भूमि के संबंध में मृतक पक्षकार के विधिक वारिसों द्वारा लाया गया वाद विधि द्वारा वर्जित होने एवं रेस ज्यूडिकेटा की तारीफ में आने से खारिज किये जाने योग्य है। एक ही सम्पत्ति के संबंध में पूर्व में निर्णित वाद के दुबारा चलने योग्य नहीं होने से वाद सरसरी तौर पर खारिज किए जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत वाद रेज ज्यूडिकेटा की तारीफ में आने व विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

3. वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादी/अप्रार्थी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ अपने पूर्वज खातेदार भगवानसहाय की वसीयत के आधार पर वादपत्र पेश किया है, क्योंकि वादी ही अपने पूर्वज खातेदार भगवानसहाय की सम्पत्ति का उनके द्वारा की गई वसीयत के आधार पर मालिक है, जबकि प्रतिवादीगण के पिता नरपत सिंह ने ए.सी.एम. न्यायालय शाहपुरा के समक्ष नरपत सिंह बनाम राजस्थान सरकार के नाम दावा पेश कर बिना वादी को कोई सूचना दिए एवं बिना किसी हक अधिकार के वर्ष 1975 में अपने पक्ष में साबिक खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

नम्बर 211, 212, 213 जिसके नये नम्बर 38, 354 हैं, का दावा पेश कर डिक्री करवाया है, ऐसे में प्रतिवादीगण की खातेदारी निरस्त फरमाए जाने योग्य है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है। जहाँ तक 55 वर्ष बाद वादपत्र पेश करने का प्रश्न है, समयावधि के आधार पर वादपत्र खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त आदेश 7 नियम 11 के उपनियमों में समयावधि के आधार पर वादपत्र खारिज किए जाने का प्रावधान अंकित नहीं किया है। प्रतिवादी के पूर्वज नरपत सिंह ने उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का दावा न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा में बिना वादी की जानकारी के पेश कर गलत रूप में डिक्री करवाया है, क्योंकि उक्त नरपत सिंह को वादी के पूर्वज भगवानसहाय की खातेदारी भूमि को अपने नाम से खातेदारी प्राप्त किए जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। नरपत सिंह ने न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर बिना भगवानसहाय के विधिक वारिस यानी वादी/अप्रार्थी को सूचित किए अपने नाम से खातेदारी अपने नाम करवाई है, जो गलत है। वादी ने अपने पूर्वज भगवानसहाय का विधिक वारिस होने से यह वादपत्र अपने हक अधिकार को प्राप्त करने के लिए पेश किया है, जो सही एवं दुरूस्त है, ऐसे में वादी को अपना वादपत्र साबित करने के लिए विस्तृत पक्ष रखने की अनुमति दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी ने किस आधार पर ज़मनादास को गोद पुत्र कहा है यह स्पष्ट नहीं किया, जबकि वादी के अलावा जमनादास विधिक अधिकारी नहीं था तथा उक्त आदेश 9 नियम 13 की कार्यवाही में वादी की अनभिज्ञता में जारी की गई डिक्री दिनांक 04.05.1976 वादी के अधिकारों के प्रति अन्तिम नहीं है। प्रार्थी के द्वारा वादी की वसीयत के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नीमकाथाना द्वारा जारी प्रोबेट को गलत तरीके से जारी करवाने का कथन किया है, इस प्रकार प्रतिवादीगण को स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या न्यायालय में गलत तरीके से झूंठे कागजों के आधार पर कोई निर्णय दिया है तथा प्रतिवादी के पिता नरपतसिंह ने किस तरीके से वादी के पूर्वज भगवानसहाय के नाम से दर्ज खातेदारी को अपने नाम से दर्ज रिकार्ड करवाया है, जबकि प्रतिवादीगण को पूर्व वादी के जाति समाज व परिवार का सदस्य ही नहीं था। प्रतिवादीगण को प्रोबेट के विरूद्ध कार्यवाही करने की इजाजत कानून में वर्णित नहीं है अर्थात परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य को वसीयत व प्रोबेट को सही, गलत [illegible] से, करवाने का अधिकार नहीं है तथा जहां तक माननीय उच्च न्यायालय से प्रतिवादीगण का स्थगन लेने का प्रश्न है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिवादीगण को भूमि

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

खुर्द–बुर्द नहीं करने भूमि को रहन बय विक्रय नहीं करने के आदेश से पाबन्द कर रखा है, तथा अभी जारी प्रोबेट को निरस्त नहीं किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संबंधित कानून की पूर्ति नहीं करता है, इसलिए प्रार्थना पत्र सरसरी रूप से प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आपत्ति का निस्तारण विवाद्यक विरचना करने के पश्चात किया जा सकता है, ऐसे में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किए जाने योग्य है।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस रही कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रोबेट के आधार पर पेश किया गया है। उसी विवाद्यक/सम्पत्ति के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने हेतु कोई पक्षकार समानान्तर दो न्यायालयों में दावा कर अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। यह भी कि प्रतिवादी के पति व पिता नरपत सिंह ने उक्त भूमि की खातेदारी का दावा उनवानी नरपत सिंह बनाम राजस्थान सरकार वर्ष 1975 में पेश किया, जो बाद सुनवाई नरपत सिंह के हक में दिनांक 04.05.1976 को डिक्री हुआ है, उक्त निर्णय बाध्यकारी है तथा प्रस्तुत वादपत्र रेस ज्यूडिकेटा की परिभाषा में आता है। प्रार्थी ने तथाकथित प्रोबेट को उच्च न्यायालय में चैलेंज कर रखा है तथा उसके आधार वाद लाने का वादी को कोई अधिकार नहीं है। वसीयत के आधार पर अधिकार तय सिविल कोर्ट द्वारा ही होते हैं। अतः दावा चलने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत के रूप CJ (Civ.) Raj. 2018 (3) Page 1731. , CJ (Civ.) Sc. 2017 (3) Page 745. CJ (Civ.) Raj. 2018 (3) Page 2113 पेश किए।

अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वादपत्र उनवानी नरपतसिंह बनाम राजस्थान सरकार में भगवानसहाय के किसी भी वारिस को पक्षकार को मुकदमा नहीं बनाया गया था, ऐसे में अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद विधि सम्मत होने से रेस ज्यूडिकेटा की तारीफ में नहीं आता है। प्रार्थना पत्र मे अंकित आपत्ति का निस्तारण विवाद्यक विरचना करने के पश्चात किया जा सकता है, ऐसे में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किए जाने योग्य है। यह भी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है कि प्रस्तुत वादपत्र किस विधि द्वारा वर्जित है। वादी ने प्रस्तुत वादपत्र प्रतिवादीगण को कानूनी नोटिस देकर [illegible] है तथा वसीयत के आधार पर पेश किया है [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादी को स[illegible] का अवसर प्रदान करें। विद्वान अधिवक्ता अ[illegible] में CPC 1908-Sec 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Page 14, 2017 (1) CJ (Civ.) (Raj.) Page 212, RRT 2011 (2) Page 1395, RRT 2012 (1) Page 198 पेश किए।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र वसीयत की प्रोबेट के आधार पर पेश किया गया है एवं इस बात का उल्लेख वादी ने अपने वादपत्र में भी किया है। चूंकि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा वसीयत के आधार पर प्रोबेट जारी की गई है एवं प्रोबेट का Execution भी सिविल न्यायालय द्वारा करवाया जाना था। उसी प्रोबेट के आधार पर वही अनुतोष प्राप्त करने के लिए हस्तगत दावा पेश किया गया है। उसी विवाद्यक/सम्पत्ति के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने हेतु कोई पक्षकार समानान्तर दो न्यायालयों में दावा कर अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा दावा विधि द्वारा वर्जित है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पेश दृष्टांत पूर्णतः लागू होते है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 17.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner